राजस्थान सरकार

(कायदा – 129) 2024/162

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111, 128 रा० भू० अधि०	99/24	8/4/24	29/4/24	18/4/24

अनवान

श्री गोविन्दसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत नि॰ रतवोली तह॰ बिजौलिया — श्री भीसुलाल पुत्र बालुलाल जाति मीणा नि॰ कांस्या तह॰ बिजौलियां

निवासी .... निवासी ....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री ओमप्रकाश शर्मा Adv — श्री ....

H. V. S

Sumit Dhakar

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

गोविन्द सिंह बनाम शीरूलाल

किस्म मुकदमा – 111, 128 नम्बर 99/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/4/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/4/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
18/4/2024	पत्राव[illegible] पेश [illegible] अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित [illegible] दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/4/24 को A.o/ए पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
23/4/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिबादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 29/4/24 को वास्ते A/ए पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
29/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए एवं विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

तारीख दायर 8/4/24

प्रकरण संख्या :– 99/24

1– गोविन्द सिंह पुत्र नाथु सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

2– सोहन कंवर पत्नि गोविन्द सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

3– देशराज सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

4– महेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

——प्रार्थीगण

बनाम

1– घीसुलाल पुत्र बालु जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

2– जगदीश पुत्र गोविन्दराम जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

3– बाघ सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

——विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 रा0ले0रे0 एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक :– 29/4/24

प्रार्थनापत्र **प्रार्थी श्री गोविन्द सिंह वगै0** ने जरिये अभिभाशक **श्री ओमप्रकाश जी शर्मा,** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम राखोली, पटवार क्षैत्र चान्द जी की खेड़ी, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 190 आराजी नंबर 346 रकबा 0.2266 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 30 आराजी नंबर 415/349 रकबा 0.6313 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 107 आराजी नंबर 345 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, आराजी नंबर 347 रकबा 1.2950 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.3436 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 108 आराजी नंबर 344 रकबा 1.8858 हैक्टेयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में भापथपत्र संलग्न हैं। प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2073–2076** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार का तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत भापथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम राखोली, पटवार क्षैत्र चान्द जी की खेड़ी, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 190 आराजी नंबर 346 रकबा 0.2266 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 30 आराजी नंबर 415/349 रकबा 0.6313 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 107 आराजी नंबर 345 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, आराजी नंबर 347 रकबा 1.2950 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.3436 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 108 आराजी नंबर 344 रकबा 1.8858 हैक्टेयर भूमि** की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोश में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 99/24 तारीख दायर – 09/04/2024

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :– प्रकरण संख्या ....99/24......... प्रत्थरगढी बाबत्।

1– गोविन्द सिंह पुत्र नाथु सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2– सोहन कंवर पत्नि गोविन्द सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3– देशराज सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4– महेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

——प्रार्थीगण

बनाम

1– घीसुलाल पुत्र बालु जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2– जगदीश पुत्र गोविन्दराम जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3– बाघ सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

——विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्र्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम राखोली, पटवार क्षैत्र चान्द जी की खेड़ी, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 190 आराजी नंबर 346 रकबा 0.2266 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 30 आराजी नंबर 415/349 रकबा 0.6313 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 107 आराजी नंबर 345 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, आराजी नंबर 347 रकबा 1.2950 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.3436 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 108 आराजी नंबर 344 रकबा 1.8858 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्राथी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा
बिजौलियाँ

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी